

गर

कागजात

7-25

आज पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा 2025, कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नेतेवाला में प्रार्थी जगजोत सिंह पुत्र बलजिन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबंदी चक 3 एम, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि. 18 जैड खाता संख्या 19/19, जमाबंदी चक 3 एम, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि. 18 जैड खाता संख्या 69/19, जमाबंदी चक 3 एम, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि. 18 जैड खाता संख्या 67/47, जमाबंदी चक 3 एम, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि. 18 जैड खाता संख्या 44/36, जमाबंदी चक 3 एम, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि. 18 जैड खाता संख्या 45/27, प्रार्थी ग्राम पंचायत साहिबसिंहवाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 26.06.2025 प्रार्थी जगजीत सिंह पुत्र बलजिन्द्र सिंह के पेन कार्ड की प्रति का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत अनुशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर जमाबंदी जमाबंदी चक 3 एम, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि. 18 जैड खाता संख्या 67/47, जमाबंदी चक 3 एम, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि. 18 जैड खाता संख्या 44/36, जमाबंदी चक 3 एम, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि. 18 जैड खाता संख्या 45/27 में जगजीत सिंह पुत्र बलजिन्द्र सिंह के स्थान पर जगजोत सिंह पुत्र बलजिन्द्र सिंह किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय कैम्प कोट ग्रा. पंचायत नेतेवाला में मजमेआम सुनाया गया।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर